निर्णय बइजलास द्वारा श्री के.आर. चौहान (**R.A.S.**) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़
जिला राजसमन्द

प्र0सं0 1 / 2016 2017 / अ.नां.क /   निर्णय दिनांक :– 7 / 9 / 2017

अनवान

1 श्री पूरणसिंह पिता भजासिंह आयु 48 वर्ष जाति रावत निवासी ग्राम सांलकियो का गुढा तहसील देवगढ़

———अपीलाण्ट

बनाम

1 श्री हमीरसिंह पिता भजासिंह आयु बालिग जाति रावत निवासी ग्राम सांलकियो का गुढा तहसील देवगढ़

2 श्री मांगुसिंह पिता रूपसिंह आयु बालिग जाति रावत निवासी ग्राम सांलकियो का गुढा तहसील देवग

3– सरपंच ग्राम पंचायत जीरण तहसील देवगढ जिला राजसमन्द ।

———रैस्पोडेण्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित :– श्री लुम्बसिंह अधिवक्ता अपीलाण्ट

अपीलांण्ट गण की अपील संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुई कि अपीलाण्ट के पिता भजासिंह आयु बालिग जाति रावत निवासी ग्राम सांलकियो का गुढा तहसील देवगढ के पिता भजा की मृत्यु 46 वर्ष पूर्व हो चुकी थी एवं अपीलाण्टगण के पिता भजा की मृत्यु के समय इनके वारिसान व हमीरसिंह मांगुसिंह पूरणसिंह थे। ग्राम सोलंकिया का गुढा में खाता संख्या 55 कुल खसरा किता 8 रकबा 20...बीघा भूमि है। जिसमें भजा का 1/5 हिस्सा दर्ज थी। अपीलाण्ट के पिता भजा का विरासत से नामान्तकरण संख्या 88 पारित करते समय नामान्तकरण ऑथोरिटी सरपंच ग्राम पंचायत जीरण ने नामान्तकरण में केवल दो पुत्र हमीरसिंह व मागु पिता भजा का नाम दर्ज कर दिया

निरन्तर पेज 2 पर

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला–राजसमन्द

तथा अपीलाण्ट जो उसके जाइन्दा पुत्र है के नाम नामान्तकरण नही खोला पटवारी हल्का ने नामान्तकरण दर्ज करते समय मृतक भजा के वारिस में उसके बड़े पुत्रो हमीरसिंह व मांगुसिंह का ही नाम अंकित किया जो बिना जांच के दर्ज किया गया था। उक्त आराजियात अपीलाण्ट के पिता व बाप–दादाओं मोरूसी है भजा की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि का नामान्तकरण रेस्पोडेण्टगण संख्या 1 व 2 के नाम खोल दिया जबकि नामान्तकरण भजा के सभी वारिसान के नाम खुलना चाहिए था। पटवारी हल्का व ग्राम पंचायत द्वारा बिना वारिसान के जांच किये नामान्तकरण खोला जो विधि विरूद्ध हो भारी भूल कर अपीलाण्ट के हितों पर कुठाराधात किया है। मौके पर अपीलाण्टगण एवं रेस्पोडेण्टगण अपने–अपने हिस्सों अनुसार भूमि का उपयोग–उपभोग संयुक्त रूप से करते आ रहें है। जिससे उक्त नामान्तकरण काबिल निरस्त है अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तकरण संख्या 88 ग्राम सोलंकीयान का गुढा पटवार हल्का जीरण तहसील देवगढ़ निरस्त फरमाया जावे । उनके पिता भजा के हिस्से की भूमि में अपीलाण्ट का जो हिस्सा बनता है अपीलाण्ट के नाम दर्ज कराया जावे।

अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्टगण को मय नकल अपील के सम्मन जारी किये गये। प्रति उत्तर में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने कोई जवाब पेश नही किया मृतक भजा के वारिसान अपीलाण्ट संख्या 1 व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम रेकार्ड में नाम दर्ज कराने में कोई आपत्ति नही होना स्वीकार किया अधिवक्ता अपीलाण्ट ने प्रकरण में एकतरफा बहस की। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने बहस में तर्क दिया कि पटवारी हल्का एवं ग्राम पंचायत जीरण ने नामान्तकरण संख्या 88 दर्ज करते समय भारी भूल की है। ग्राम पंचायत ने अपीलाण्ट को बिना सूचना दिये एवं बिना सुने नामान्तकरण पारित किया है। जो विधिविरूद्ध है ग्राम पंचायत को चाहिए था कि वह विधिवत अपीलाण्ट को सूचना पत्र जारी कर उनको सुना जाकर नियमानुसार नामान्तकरण पारित करती लेकिन ग्राम पंचायत ने ऐसा नही कर भारी भूल की है अतः उक्त पारित नामान्तकरण निरस्त योग्य होने से निरस्त कराया जावे।

हमने अपीलाण्टगण की अपील नकल नामान्तकरण अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत सजरा एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस पर मनन किया ग्राम पंचायत जीरण ने नामान्तकरण संख्या 88 पारित करते समय अपीलाण्ट को कोई सूचना नही दी तथा उनको बिना सुने ही नामान्तकरण पारित किया जो विधि विरूद्ध है ग्राम पंचायत को चाहिए था कि वह नियमानुसार अपीलाण्टगण को सूचनापत्र जारी कर उनको सुना जाकर

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला–राजसमन्द

निरन्तर पेज 3 पर